

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक-वा0क0अधि0/परिपत्र/ 1839 2020 लखनऊ::दिसम्बर 04 2020

परिपत्र

समस्त सदस्य,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि वाकालतनामा पर अभिभाषक एवं पक्षकारों के मोबाईल नम्बर अंकित नहीं होते हैं, जिसके कारण आकस्मिकता की स्थिति में उन्हें आवश्यक एवं तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित सूचनाओं को सुनिश्चित कराया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः समस्त सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत मुन्सरिम/पेशकार से वाकालतनामा पर अभिभाषक एवं पक्षकारों के मोबाईल नम्बर अंकित कराया जाये।

परिपत्र का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

ह0 04-12-2020

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार, मुख्यालय।
- 3- गार्ड फाईल में चस्पा हेतु।

आज्ञा से



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण  
उ0प्र0, लखनऊ।